



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082025-265708
CG-DL-E-26082025-265708

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3786]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 2025/भाद्र 3, 1947

No. 3786]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 2025/BHADRA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2025

का.आ. 3891 (अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले में NH330D के कि.मी. 0 से कि.मी.33.1 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), सीतापुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले में NH330D के कि.मी. 0 से कि.मी.33.1 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: सीतापुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मिश्रिख					
गांव का नाम: अजीजपुर					
1	138	निजी	कृषि	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
2	145 min	अन्य (सरकारी/निजी)	बंजर/कृषि	0.082 (हेक्टेयर)	0.082
3	146	सरकारी	बंजर	0.202 (हेक्टेयर)	0.202
4	147	सरकारी	रास्ता	0.0258 (हेक्टेयर)	0.0258
5	326	सरकारी	बंजर	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
6	327	सरकारी	बंजर	0.061 (हेक्टेयर)	0.061
7	330 Min	अन्य (सरकारी/निजी)	बंजर/कृषि	0.179 (हेक्टेयर)	0.179
8	351	सरकारी	नदी	0.133 (हेक्टेयर)	0.133
9	65 min	अन्य (सरकारी/निजी)	बंजर/कृषि	0.0976 (हेक्टेयर)	0.0976
तालुक का नाम: सीतापुर					
गांव का नाम: सिकटिहा					
10	320 Ka	निजी	कृषि	0.081 (हेक्टेयर)	0.081
गांव का नाम: करिया माउ					
11	725	निजी	कृषि	0.605 (हेक्टेयर)	0.605
गांव का नाम: रामकोट					
12	25	निजी	कृषि	0.146 (हेक्टेयर)	0.146
13	335 Min	निजी	कृषि	0.7385 (हेक्टेयर)	0.7385
14	342	निजी	कृषि	0.0692 (हेक्टेयर)	0.0692
15	345 Min	अन्य (सरकारी/निजी)	कृषि/रोड	0.2318 (हेक्टेयर)	0.2318
16	348	निजी	कृषि	0.1183 (हेक्टेयर)	0.1183
17	349 min	अन्य (सरकारी/निजी)	कृषि/रोड	0.1654 (हेक्टेयर)	0.1654
18	353	निजी	कृषि	0.0039 (हेक्टेयर)	0.0039
19	354	निजी	कृषि	0.2315 (हेक्टेयर)	0.2315
20	416	निजी	कृषि	0.189 (हेक्टेयर)	0.189

21	567	निजी	कृषि	0.0748 (हेक्टेयर)	0.0748
22	568	निजी	कृषि	0.103 (हेक्टेयर)	0.103
23	569	निजी	कृषि	0.0514 (हेक्टेयर)	0.0514
24	571 Min	निजी	कृषि	0.0066 (हेक्टेयर)	0.0066
25	575 Min	सरकारी	बंजर	0.3137 (हेक्टेयर)	0.3137
गांव का नाम: हुमायूँपुर					
26	634	सरकारी	सड़क	0.0551 (हेक्टेयर)	0.0551
27	647	सरकारी	सड़क	0.8437 (हेक्टेयर)	0.8437
28	68	निजी	कृषि	0.0676 (हेक्टेयर)	0.0676
29	69	सरकारी	बंजर	0.0748 (हेक्टेयर)	0.0748
30	70	निजी	कृषि	0.0397 (हेक्टेयर)	0.0397
31	700 min	अन्य (सरकारी/निजी)	बंजर / कृषि	0.082 (हेक्टेयर)	0.082
32	701	निजी	कृषि	0.0143 (हेक्टेयर)	0.0143
33	71	सरकारी	जंगल	0.0261 (हेक्टेयर)	0.0261
34	710	सरकारी	बंजर	0.0695 (हेक्टेयर)	0.0695
35	72	निजी	कृषि	0.0525 (हेक्टेयर)	0.0525
Total					5.2628

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/NH-33D/2021-22/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th August, 2025

S.O. 3891(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Construction (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH330D in the stretch of land from Km. 0 to Km. 33.1 in the district of SITAPUR in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, ADM (F/R), Sitapur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH330D in the stretch of land from Km. 0 to Km. 33.1 in the district of SITAPUR in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: SITAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Misrikh					
Village: Ajjipur					
1	138	Private	Agriculture	0.016 (Hectare)	0.016
2	145 min	Common (Government/Private)	Barren/Agriculture	0.082 (Hectare)	0.082
3	146	Government	Barren	0.202 (Hectare)	0.202
4	147	Government	Rasta	0.0258 (Hectare)	0.0258
5	326	Government	Barren	0.012 (Hectare)	0.012
6	327	Government	Barren	0.061 (Hectare)	0.061
7	330 Min	Common (Government/Private)	Barren/Agriculture	0.179 (Hectare)	0.179
8	351	Government	Nadi	0.133 (Hectare)	0.133
9	65 min	Common (Government/Private)	Barren/Agriculture	0.0976 (Hectare)	0.0976
Taluk: Sitapur					
Village: Sikatiha					
10	320 Ka	Private	Agriculture	0.081 (Hectare)	0.081
Village: Kariya Mau					
11	725	Private	Agriculture	0.605 (Hectare)	0.605
Village: Ramkot					
12	25	Private	Agriculture	0.146 (Hectare)	0.146
13	335 Min	Private	Agriculture	0.7385 (Hectare)	0.7385
14	342	Private	Agriculture	0.0692 (Hectare)	0.0692
15	345 Min	Common (Government/Private)	Agriculture/Road	0.2318 (Hectare)	0.2318
16	348	Private	Agriculture	0.1183 (Hectare)	0.1183
17	349 min	Common (Government/Private)	Agriculture/Road	0.1654 (Hectare)	0.1654
18	353	Private	Agriculture	0.0039 (Hectare)	0.0039
19	354	Private	Agriculture	0.2315 (Hectare)	0.2315
20	416	Private	Agriculture	0.189 (Hectare)	0.189
21	567	Private	Agriculture	0.0748 (Hectare)	0.0748
22	568	Private	Agriculture	0.103 (Hectare)	0.103
23	569	Private	Agriculture	0.0514 (Hectare)	0.0514
24	571 Min	Private	Agriculture	0.0066 (Hectare)	0.0066
25	575 Min	Government	Barren	0.3137 (Hectare)	0.3137

Village: Humaunpur					
26	634	Government	Sadak	0.0551 (Hectare)	0.0551
27	647	Government	Sadak	0.8437 (Hectare)	0.8437
28	68	Private	Agriculture	0.0676 (Hectare)	0.0676
29	69	Government	Barren	0.0748 (Hectare)	0.0748
30	70	Private	Agriculture	0.0397 (Hectare)	0.0397
31	700 min	Common (Government/Private)	Barren / Agriculture	0.082 (Hectare)	0.082
32	701	Private	Agriculture	0.0143 (Hectare)	0.0143
33	71	Government	Forest	0.0261 (Hectare)	0.0261
34	710	Government	Barren	0.0695 (Hectare)	0.0695
35	72	Private	Agriculture	0.0525 (Hectare)	0.0525
Total					5.2628

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/NH-33D/2021-22/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director